झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

एकादश (बजट) सत्र

वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 30 फाल्गुन, 1944 (श0) ..... को 21 मार्च, 2023 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"ख"	113 अ0सू0–32	श्री सुदेश कु0 महतो	नौकरी देना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	06.03.23

नोट :–"क" वित्त विभाग के पत्रांक–63, वि0स0, दिनांक–09.03.2023 के द्वारा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में स्थानान्तरित।

"ख" 113, दिनांक–13.03.2023 को सदन द्वारा दिनांक–20.03.2023 के लिए स्थगित पुनः दिनांक–20.03.2023 को सदन द्वारा दिनांक–21.03.2023 के लिए स्थगित।

राँची
दिनांक–21 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/2020–1403/वि0स0, राँची, दिनांक–20/03/23

प्रति :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/023

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-02/2020-.....1403...../वि0स0, राँची, दिनांक-..20/03/23

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-02/2020-.....1403...../वि0स0, राँची, दिनांक-..20/03/23.

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/J.V.S TV शाखा/ बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

20.03.23

सत्यमेव जयते

पंचम्
झारखण्ड विधान–सभा

एकादश (बजट) सत्र
अल्प–सूचित प्रश्न

वर्ग–01

मंगलवार, दिनांक– 30 फाल्गुन, 1944 (श0) / 21 मार्च, 2023 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–01 (एक)

(1) श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग– – 01

कुल योग– 01

नौकरी देना

113- **श्री सुदेश कुमार महतो**, क्या मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

		प्रभारी मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के नियोजनालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5,000 रूपये और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7,000 रू0 बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 146 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में नियोजन सेवा का विस्तार योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता इकाई में रूपये 12,320.37 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे प्रत्यर्पित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता इकाई में रूपये 8,766.80 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे प्रत्यार्पित कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना/ मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना/मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना एवं मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में कुल रू0 8322.59 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे भी प्रत्यर्पित करते हुए एक नयी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो दिनांक-01.04.2023 से प्रारंभ होगी।
3	क्या यह बात सही है कि यह योजना दो साल के लिए थी और बजट में घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी युवाओं को अब तक एक रूपया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है ;	उपरोक्त कंडिका-2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 रू0 एवं स्नातकोत्तर पास बेरोजगार को सालाना 7,000 रू0 बेरोजगारी भत्ता या नौकरी देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या-1198, दिनांक-14.10.2022 के द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री सारथी योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक-01.04.2023 से लागू होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के घटको के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करने के संबंध में निम्न मानदण्डों के अनुरूप किये जाने का उल्लेख है :- **(क)** गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने-जाने हेतु प्रतिमाह राशि रूपये 1,000/- (एक हजार) Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दी जाएगी। **(ख)** प्रशिक्षणोंपरांत प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणीकरण के 03 (तीन) माह के अंदर नियोजन न होने की स्थिति में अधिकतम एक वर्ष तक युवकों को प्रतिमाह रूपये 1,000/- (एक हजार) एवं युवतियों/ दिव्यांग/परलैगिंक को प्रतिमाह रू0 1,500/- (एक हजार पाँच सौ) रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।

नोट :-"क" वित्त विभाग के पत्रांक-63, वि0स0, दिनांक-09.03.2023 के द्वारा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में स्थानान्तरित।

"ख" 113, दिनांक-13.03.2023 को सदन द्वारा दिनांक-20.03.2023 के लिए स्थगित पुनः दिनांक-20.03.2023 को सदन द्वारा दिनांक-21.03.2023 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक-21 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

20.03.23

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट)–सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 30 फाल्गुन 1945 [श0] / 21 मार्च, 2023 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
*188	अ0सू0–38	श्री सरयू राय	कार्रवाई करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	01.03.23

नोटः–* 188 अ0सू0–38, दिनांक–17.03.2023 से सदन द्वारा दिनांकः–21.03.23 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–21 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–1394/वि0स0, राँची, दिनांकः–19/03/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/3/2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

क्र0 प्र0 30–

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–........1394........../वि0स0, राँची, दिनांकः– 19/03/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19.3.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–........1394........../वि0स0, राँची, दिनांकः– 19/03/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन शाखा, ऑनलाईन एवं बेवसाईट शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19.3.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

19.03.23

सत्यमेव जयते

पंचम्
झारखण्ड विधान–सभा

एकादश (बजट) सत्र
अल्प–सूचित प्रश्न

वर्ग–05

मंगलवार, दिनांक– 30 फाल्गुन, 1944 (श0) / 21 मार्च, 2023 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–01 (एक)

(1) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग– 01

कुल योग– 01

कार्रवाई करना।

उत्तर हेतु

188. श्री सरयू राय- क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(1) क्या यह बात सही है कि दवाओं एवं उपकरणों की खरीद के लिए का गठन हुआ है, जिसने दवाओं की खरीद के लिए अप्रैल, 2020 में JMHIDPCL निविदा प्रकाशित किया था और निविदा निष्पादन के उपरांत निविदादाताओं को "लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस" भेजा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निविदा में न्यूनतम दर आने के बावजूद भारत सरकार के लोक उपक्रमों से उन्ही दवाओं की खरीद मनोनयन के आधार पर की गई ;

(3) क्या यह बात सही है कि निविदा की न्यूनतम दर तथा उन्ही दवाओं की मनोनयन पर खरीद की दर में दो से चार गुणा तक का अन्तर है, जिसके कारण राजकोष पर 100-150 करोड़ रूपये की चपत पड़ी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि इस अवधि में कितनी दवायें मनोनयन के आधार पर खरीदी गई और उँची दर पर दवा खरीदने और राजकोष को करोड़ों रूपये की चपत लगाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँची
दिनांक-21 मार्च, 2023 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(188)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सख्या– अ0सू0–38 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दवाओं एवं उपकरणों की खरीद के लिए का गठन हुआ है, जिसने दवाओं की खरीद के लिए अप्रैल 2020 में JMHIDPCL निविदा प्रकाशित किया था और निविदा निष्पादन के उपरांत निविदादाताओं को 'लेटर ऑफ एक्सेपटेंस' भेजा था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि निविदा में न्यूनतम दर आने के बावजूद भारत सरकार के लोक उपकमों से उन्हीं दवाओं की खरीद मनोनयन के आधार पर की गई;	अप्रैल, 2020 में प्रकाशित निविदा संख्या–JMC/NIT-20/ Drugs/06 से 247 दवाओं का दर निर्धारित किया गया था। भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के कार्यक्रम आधारित दवाओं की सूची तथा भारत सरकार द्वारा फ्री ड्रग पॉलिसी की दवाओं का क्रय JMHIDPCL की Board of Directorate तथा विभागीय संकल्प सं0–102(6) दिनांक 09.02.2021 के आलोक में भारत सरकार के फार्मा उपक्रमों हेतु निर्धारित दर पर की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि निविदा की न्यूनतम दर तथा उन्हीं दवाओं की मनोनयन पर खरीद की दर में दो से चार गुणा तक का अन्तर है, जिसके कारण राजकोष पर 100–150 करोड़ रूपये की चपत पडी है;	भारत सरकार, के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निदेश के आलोक में वर्ष 2021 से फरवरी 2023 के मध्य तक भारत सरकार की फार्मा उपक्रमों से National Pharmaceuticals Pricing Authority द्वारा निर्धारित दर पर दवाओं की अधिप्राप्ति की गई तथा अधिप्राप्त दवाओं के विरूद्व कुल रू0 60,56,45,129 का भुगतान किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी की इस अवधि में कितनी दवायें मनोनयन के आधार पर खरीदी गई और उँची दर पर दवा खरीदने और राजकोष को करोड़ों रूपये की चपत लगाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई हॉं, तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्ष 2020–21 में 49 प्रकार की दवाएं जिसमें Rs. 19,61,83,107, वर्ष 2021–22 में 47 प्रकार की दवाएं जिसमें Rs. 17,50,44,426 तथा वर्ष 2022–23 में 07 प्रकार की दवाएं जिसमें Rs. 23,44,17,596 राशि कुल Rs. 60,56,45,129/- का क्रय कर भारत सरकार के फार्मा कंपनियों को भुगतान किया गया है। उक्त दवाएँ भारत सरकार द्वारा सम्पोषित कार्यक्रमों एवं एन0एच0एम0 अंतर्गत उपयोग में आने वाले दवाओं का भारत सरकार के Free Drug Policy के तहत उपलब्ध कराई गई राशि से सरकारी फार्मा उपक्रमों से अधिप्राप्ति कर उक्त राशि का व्यय किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दवाओं की सूची से बाहर की दवाओं की अधिप्राप्ति प्रकाशित निविदा के द्वारा निर्धारित दर पर निजी क्षेत्र के निर्माताओं से की गयी है। JMHIDPCL द्वारा दवाओं का क्रय भारत सरकार के फार्मा उपक्रमों से किये जाने तथा विभागीय संकल्प सं0–102(6) दिनांक 09.02.2021 की पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिक समस्त

		विषयों की पूर्ण समीक्षा कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–82(21) दिनांक 16.03.2021 द्वारा एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–13/2023 84(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 20/03/2023.
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 752/वि0स0 राँची, दिनांक 01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.23
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः– 30,फाल्गुन,1944 (श०) को 21 मार्च, 2023 (ई०) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
233-	अ०सू०–47	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता,	प्रबंधन पर कार्रवाई।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	25-02-23
234-	अ०सू०–68	श्री प्रदीप यादव,	नियमावली में संशोधन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15-03-23
235-	अ०सू०–35	श्री बिरंची नारायण,	स्कूल भवनों का मरम्मतीकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
236-	अ०सू०–69	श्री सरयू राय,	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	15-03-23
237-	अ०सू०–67	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	सामूहिक शौचालय का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	15-03-23
238-	अ०सू०–65	श्री राज सिन्हा,	गुरूजी केडिट कार्ड योजना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	05-03-23
239	अ०सू०–43	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	समान सुविधा देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
240-	अ०सू०–72	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	अपेक्षित संशोधन करना।	उच्च एवं तक० शिक्षा	15-03-23
241-	अ०सू०–70	श्री कमलेश कुमार सिंह,	पर्यटकीय सुविधा देना।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	15-03-23
242-	अ०सू०–71	श्री नवीन जयसवाल,	सम्मान राशि देना।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	15-03-23

कृ०पृ०उ०.....2/–

01	02	03	04	05	06
243-	अ0सू0-54	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	व्याख्याताओं का नियमितीकरण।	उच्च एवं तक0 शिक्षा	01-03-23
244-	अ0सू0-73	श्रीमती सुनिता चौधरी,	पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तक0 शिक्षा	15-03-23
245-	अ0सू0-20	श्री अनन्त कुमार ओझा,	व्यवस्था सुदृढ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
246-	अ0सू0-64	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	पेंशन भुगतान करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	05-03-23
247-	अ0सू0-06	श्री विनोद कुमार सिंह,	बेसिल कंपनी पर कार्रवाई।	सूचना,प्रौ0 एवं ई-गवर्नेस	21-02-23
248-	अ0सू0-66	श्री सरयू राय,	पार्क घोषित करना।	वन,पर्या0 एवं जल0परिवर्तन	13-03-23
249-	अ0सू0-74	श्रीमती सुनिता चौधरी,	डियर पार्क का निर्माण।	वन,पर्या0एवं जल0परिवर्तन	15-03-23
250-	अ0सू0-56	श्री प्रदीप यादव,	संसाधन उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23

नोट- क्र0 238 अ.सू. 65 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक-643 दिनांक-16.03.2023 के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक-21 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-1401/वि0स0,राँची,दिनांकः-20/03/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-1401/वि0स0,राँची,दिनांकः-20/03/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-1401/वि0स0,राँची,दिनांकः-20/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ ऑनलाईन शाखा /प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

20/03/23

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.23 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–47 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड–तेतुलिया अन्तर्गत अंकुर बायोकेम प्राईवेट लिमिटेड का कारखाना है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कारखानें का केमिकल से निकले गंदे गाद व गंदे पानी को बगल में स्थित खुदिया नदी में बहाने के कारण नदी का जल प्रदूषित हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इकाई में बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित है। उपचारित जल को इकाई परिसर के अन्दर पुनः उपयोग किया जाता है। उक्त इकाई द्वारा खुदिया नदी में प्रदूषण के संबंध में ग्रामीणों का एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायत पत्र के आलोक में इकाई का निरीक्षण में पाया गया कि इकाई में विस्तारीकरण के तहत् निर्माण कार्य चल रहा है तथा इकाई परिसर के चहारदिवारी से कुछ जगहों पर सीपेज होने का साक्ष्य मिला है। इकाई को इसे रोकने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया है। इकाई को शून्य बहिःस्राव के आधार पर CTO प्रदान की गई है। इकाई ने आश्वासन दिया है कि मई–जून माह के अन्दर सभी सीपेज को रोकने का कार्य सम्पन्न कर लेंगे। नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु नमूना संग्रहण कार्य किया गया, विश्लेषण प्रतिवेदन में सभी पारामीटर मानक के अधीन है। (छायाप्रति संलग्न)
3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त नदी के अगल–बगल स्थित गाँवों में प्रदूषित जल उपयोग में लाने के कारण चर्म रोग से संबंधित बीमारी हो रही है तथा बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है;	M/s Ankur Bio Chem Pvt. Ltd., Nirsa, Dhanbad के बगल से प्रवाहित खुदीया नदी का जल नमूना संग्रहण इकाई के up stream, Near the unit and down stream पर किया गया। उक्त स्थलों पर pH की मात्रा मानक 6.5-8.5 के अन्दर, DO की मात्रा मानक 5mg/Ltr. या अधिक से अधिक तथा BOD की मात्रा 3mg/Ltr. या कम से कम पाया गया है। विश्लेषण प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि नदी जल की गुणवत्ता मानकाधीन है। इकाई द्वारा उत्सर्जित होने वाले जल के कारण चर्म रोग से संबंधित बीमारी होने की संभावना नहीं है। अन्य कारणों से भी चर्म रोग की बीमारी की संभावना हो सकती है।

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त केमिकल कारखाने से नदी के जल को प्रदूषण से बचाने व कंपनी प्रबंधन पर कार्रवाई करने तथा उक्त गाँवों के लोगों को बीमारी से बचाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड–2 और 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–26/2023– 1064 व0प0, दिनांक– 20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–481, दिनांक–25.02.23 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(234)

881
A|03|2023

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–68

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा– 2016 में प्राच्य भाषा (संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी) के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के समय संबंधित विषय में स्नातक के साथ बी.एड. उत्तीर्ण रखा गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं.– 434 दिनांक 01.03.2016 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2015 के अनुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता विहित् है:– राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 45% अंको के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु यह कि प्राच्य भाषा (संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी) में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ समिति द्वारा प्रदत्त आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण), फाजिल (अरबी अथवा उर्दू, फारसी) की डिग्री अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य होगी। उक्त योग्यता के अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी०एड० के समकक्ष घोषित डिग्री अनिवार्य है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विषय में *J.S.S.C.* द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब स्नातकोत्तर साथ बी.एड. की डिग्री प्राच्य भाषा के लिए अनिवार्य किया गया है;	यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Malik Mazhar Sultan Vrs. UPPSC (2006) 9 SCC 507, Para-21, Ashish Kumar Vrs. State of UP, (2018) 3 SCC 55, Para-27, Raminder Singh Vrs. State of Punjab, (2016) 16 SCC 95, Para-24 & 25 एवं Civil Appeal No. 152/2022, The Employees' State Insurance Corporation Vrs. UOI & Ors.* वाद में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन एवं नियुक्ति नियमावली में विरोधाभास की स्थिति में नियुक्ति नियमावली के प्रावधान ही प्रभावी होता है, तद्नुरूप नियमावली में निर्धारित योग्यता के अनुरूप नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित शर्त्तो के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जायेंगे;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि Cont. Case No. 612/2022 सोनी कुमारी बनाम् के. रवि. कुमार में दिनांक 15.12.2022 को पारित अंतिम आदेश के अनुपालन के क्रम में JSSC से इस संबंध में प्राप्त पृच्छा के आलोक में विभागीय पत्रांक–3250 दिनांक 21.12.2022 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि प्राच्य भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित नियुक्ति नियमावली में निर्धारित शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही की जानी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 152/2022 में दिनांक 20.01.2022 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन एवं नियमावली में विरोधाभास की स्थिति में नियमावली के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–68

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विज्ञापन के शर्त्तो के अनुरूप ही नियमावली में भी यथा संशोधित मानते हुए नियुक्ति पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की दी गई है।

19/03/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–105 / 2023 881 / दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/23

सरकार के अवर सचिव।

235

870
14/03/2023

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–35

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य भर में अवस्थित अधिकतर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालयों की चाहरदिवारी नहीं होने से अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित स्कूल संचालकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, कभी विभिन्न जानवर स्कूल परिसर में आ जाते हैं, तो कभी गाय–बैल चरते–चरते स्कूल में आ जाती है और गंदगी फैलाती है, जिससे अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य भय का वातावरण बना रहता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्कूलों की चाहरदीवारी नहीं होने से यहाँ अक्सर शाम और रात के समय अपराधियों, शराबियों, जुआरियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे स्कूल की सुरक्षा प्रभावित होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में यथाशीघ्र कंडिका–01 में वर्णित स्कूलों की चाहरदीवारी का निर्माण करवाते हुए जीर्ण–शीर्ण और जर्जर अवस्था को प्राप्त स्कूल भवनों का मरम्मत करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक– D.O. No- 21-8/2022-IS9 दिनांक 30.12.2022 तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के सचिवों के संयुक्त पत्रांक F.No.-21-8/2022-IS-9-Part (I) दिनांक 19.12.2022 द्वारा विद्यालयों के बुनियादी आधारभूत संरचना को पूरा करने हेतु जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए पूरा करने का निदेश दिया गया है। भारत सरकार के इस पत्र के आलोक में जिले के विद्यालयों में यू–डायस 2021–22 आधार पर पायी गई बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की कमियों को पूरा करने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा DMFT में उपलब्ध निधि से जिले के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध पत्रांक JEPC/CIV/03/767/2022/116 दिनांक 11.01.2023 द्वारा दुमका जिला सहित सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र निर्गत किया गया है। विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2023 को सम्पन्न प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड की बैठक में मात्र 146 विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण तथा 389 विद्यालयों में वृहत मरम्मति तथा 465 विद्यालयों में लघु मरम्मति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–57 / 2023 870 / दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/23

सरकार के अवर सचिव।

236

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.23 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–69 का उत्तर।

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य बैंच के समक्ष मुकदमा संख्या–124/2023 में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शपथ पत्र पर कहा है कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स द्वारा स्वर्णरेखा नदी का प्रदूषण नहीं किया जा रहा है:	अस्वीकारात्मक। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच के समक्ष मुकदमा संख्या–124/2023 में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दायर Action Taken Report में उल्लेखित है कि सर्वश्री टाटा स्टील और सर्वश्री टाटा मोटर्स द्वारा बहिःश्राव का उपचार कर निस्सरण स्वर्णरेखा नदी में किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल से मुसाबनी के बीच स्वर्णरेखा का औद्योगिक एवं शहरी प्रदूषण के ऑकड़े एकत्र करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में बोर्ड अक्षम रहा है:	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण की जॉच उदगम स्थल से मुसाबनी के बीच विभिन्न स्थलों पर मासिक की जाती है एवं उक्त का विश्लेषण प्रतिवेदन सी0पी0सी0बी0 के वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है । उक्त आँकड़ों को एकत्र कर उनके आँकलन के आधार पर स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए River Rejuvenation Plan (RRP) तैयार किया गया है। RRP के कार्यान्वयन की समीक्षा सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित Central Monitoring Committee (CMC) द्वारा की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में दोमुहान और कांदरबेड़ा पुल के बीच सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिये बिना शहरी नाला का प्रदूषित जल नदी के भीतर एकत्र करने के लिए ढ़ांचे बने है, जिसका संज्ञान बोर्ड ने नही लिया है:	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वर्णरेखा को प्रदूषित करने वालों और दोमुहान–कांदरबेड़ा पुल के बीच नदी में अवैध ढ़ांचा बनाकर प्रदूषित जल एकत्र करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–48/2023–1065 व0प0, दिनांक– 20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1218, दिनांक–15.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

237

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०स०–67 का उत्तर सामग्री :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के मैथन डैम को पर्यटक स्थल का दर्जा प्राप्त है, जहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक पिकनिक एवं नौका विहार का आनंद लेने आते हैं,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि मतस्य गंधा नौका विहार मैथन डैम गेट न०–01 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत दो समूह जाहेर ऐरा स्वयं सहायता समूह, गोगना तथा मारांग बुरु स्वयं सहायता समूह, गोगना द्वारा नौका/मोटर बोट का संचालन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेने आते हैं,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित स्थल में शौचालय की सुविधा नहीं होने पर पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,	3.	आंशिक अस्वीकारात्मक वर्णित बोट घाट से लगभग 100 मी० की दूरी पर मैथन डैम पर्यटन स्थल में ही शौचालय है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–02 में वर्णित स्थल में सामूहिक शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल श्रेणी 'A' का पर्यटन स्थल अधिसूचित है। यहाँ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास/पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक 577, दिनांक 16.03.2023 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से प्रस्ताव व प्राक्कलन माँगा गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने एवं बजट उपलब्धता के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/50/2023 609 /राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1216/वि०स०, दिनांक–15/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

238

श्री राज सिन्हा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–65 का उत्तरः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में झारखण्ड गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी थी जिसके लिए 26 करोड़ 13 लाख रूपये का बजट निर्धारित किया गया था इसका लाभ जरूरत मद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए योजना का लाभ दिया जाना है,	आंशिक स्वीकारात्मक गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है। झारखण्ड राज्य के जरूरत मंद विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिये वित्तीय संसाधन की कमी नहीं होने देना इस योजना का उद्येश्य है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में लायी गयी इस योजना के जरिये राज्य के गरीब कमजोर वर्ग तथा आर्थिक अभाव के आगे पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जानी थी;	आंशिक स्वीकारात्मक गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक कारण से पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 04 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना अभी तक राज्य में शुरू नही की जा सकी है और किसी भी जिले में एक भी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए ऋण सुविधा योजना का लाभ नही मिला है,	कंडिका 1 एवं 2 में सन्निहित है।
4	क्या यह बात सही है कि शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से भी उक्त योजना के तहत प्रयास किये जाने थे पर अबतक इस योजना से ऐसा किसी तरह का प्रयास शुरू नहीं हुआ है,	अस्वीकारात्मक विभागीय संकल्प संख्या–220/बजट, दिनांक–14.11.2022 द्वारा योजना का स्वरूप तैयार किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश, उच्च स्तरीय समिति का गठन, SOP, Format, ऑनलाईन पोर्टल आदि तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किये जाने और योजना का लाभ विद्यार्थियों को दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 4 में सन्निहित है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–01/वि0स0–38/2023 712 /राँची, दिनांक– 19/03/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–996, दिनांक–05.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

239

866
19/03/2023

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–43

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति, अनुदानित विद्यालय इण्टर कॉलेज, संस्कृत विद्यालयों में 4 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के ज्ञापांक 878/23 दिनांक 03.03.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित विद्यालय/संस्कृत विद्यालय/मदरसा आदि में लगभग 4.30 लाख छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत् हैं।
2	क्या यह बात सही है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को राज्य सरकार द्वारा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलता है, इस योजना के तहत् छात्रों को किताब, साईकिल, पोषक एवं अन्य सामग्री दिया जाता है परन्तु खण्ड–01 में वर्णित छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है;	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2033 दिनांक 05.09.2022 के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशानिदेश की कंडिका–2.3(*ii*) में अंकित है कि इस योजना के तहत् सरकारी ...../झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित विद्यालयों में कक्षा–8 से कक्षा–12 में अध्ययनरत् सभी अर्हत्ताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया जाना है, के अनुरूप स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न संकल्प के अनुसार पुस्तक, पोशाक, साईकिल, स्कूल बैग, स्कूल किट आदि आवश्यक सामग्री से संबंधित प्रावधान राज्य के स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित विद्यालय/संस्कृत विद्यालय/मदरसा में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु लागू नहीं है, यथा– (i) समग्र शिक्षा कार्यक्रम के *framework for Implementation, Ministry of Education* के अनुसार मात्र सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 की सभी छात्राओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवार के छात्रों को दो सेट पोशाक उपलब्ध कराया जाना है, (ii) राज्य सरकार के संकल्प सं. 378 दिनांक 05.03.2019 के द्वारा विद्यालय किट योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, कॉपी एवं सहायक सामग्री दिये जाने का प्रावधान किया गया है, (iii) कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को विभागीय संकल्प सं. 3408 दिनांक 31.12.2015 द्वारा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक एवं पोशाक दिये जाने का प्रावधान किया गया है एवं (iv) राज्य सरकार के संकल्प सं. 1276 दिनांक 03.08.2021 एवं 899 दिनांक 31.03.2022 में किये गये प्रावधान के अनुसार सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्रों को निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित बच्चे इसी राज्य के बच्चे हैं, जो अधिकांशतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एवं गरीब हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के समान सुविधा प्रदान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

विभाग- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–56 / 2023 866 / दिनांक 19/03/2023 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/23

सरकार के अवर सचिव।

240

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सं0–72 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षको की प्रोन्नति हेतु यूजीसी नियमावली, 2010 के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियामावली, 2010 भूतलक्षी तिथि से प्रभावी है तथा यूजीसी नियमावली, 2018 के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली, 2021 भूतलक्षी तिथि से प्रभावी नहीं है जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली, 2010 (पत्रांक–05/वि0 1–87/2016–2083) द्वारा प्रोन्नति के पश्चात् वित्तीय लाभ प्रोन्नति की तिथि से देय नहीं है,	**स्वीकारात्मक** झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु, "Statute for placement of Lecturers to the post of Lecturer in the senior scale, for promotion of Lecturer in the Senior Scale to the Post of Lecturer in the selection Grade/Reader and Promotion of Reader to the Post of University professor of University Departments Constituent Colleges, Affiliated College including Religious and Linguistic minority College (Assented to by the Chancellor on 13.06.2008 and communicated by the Principal Secretary to Governor vide Letter No. विविध-01/2008/1050/रा0स0 dated 14th June, 2008.)" दिनांक–31.12.2008 तक ही प्रभावी था। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के वैसे शिक्षक, जिसकी प्रोन्नति हेतु समयावधि दिनांक 31.12.2008 के बाद पूरी होती है उन्हे विभागीय संकल्प सं0 1188 दिनांक 20.01.2010 की कंडिका 16 के आलोक में UGC Regulations, 2010 के आधार पर प्रोन्नति प्रदान किया जाना था। उक्त के आलोक में वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त परामर्श के उपरांत UGC Regulations, 2010 के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु परिनियम–2010 लागू किया गया है। इस परिनियम के आभाव में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति बाधित थी, जिस कारण उक्त परिनियम के अन्तर्गत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2009 से प्रोन्नति का वैचारिक लाभ तथा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। यूजीसी नियमावली, 2018 के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित परिनियम 2021 से किसी भी शिक्षकों की प्रोन्नति बाधित नहीं हो रही है। तदालोक में परिनियम 2021 अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि यूजीसी नियामावली, 2010 के अनुसार प्रोन्नति हेतु API संबंधी परिशिष्ट– 3 तालिका– 2 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली 2010 की परिशिष्ट– 3 तालिका–2 परिवर्तित की गयी है,	**स्वीकारात्मक** UGC regulation, 1996 के आलोक में गठित परिनियम New CAS (2008) के कंडिका 3.1.0 में इंगित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित परिनियम 2010 के परिशिष्ट– 3 तालिका–2 में परिवर्तन किया गया है।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 2021 (पत्रांक–02/वि0 1–97/2018–963) नियमावली के तहत प्रोन्नति संबंधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के प्रावधान और यूजीसी नियमावली, 2018 के प्रावधान में विरोधाभास है,	स्वीकारात्मक विभागीय पत्रांक सं0 492, दिनांक 24.02.2023 के द्वारा अधिसूचित परिनियम "In pursuance to UGC Regulations 2018, the revised Statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2022" के माध्यम से अपेक्षित संशोधन कर दिया गया है।
4	क्या यह बात सही है कि यूजीसी नियमावली, 2018 के पृष्ठ सं0– 99–100 में पीएचडी/एमफिल हेतु अग्रिम वेतन वृद्धि भी प्रावधानित है, जो राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है,	स्वीकारात्मक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 23–4/2017(PS) दिनांक 30.01.2018 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विभागीय संकल्प सं0–319 दिनांक 07.02.2019 द्वारा सप्तम वेतनमान में Ph.D./M.Phil हेतु अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान नहीं किया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यूजीसी के प्रावधान के आलोक में अपेक्षित संशोधन करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यां ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में उत्तर संन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि.सं.–44/2023– 714 राँची/दिनांक– 19/03/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1221 दिनांक–15.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।
R. Ranjan

241

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०स०–70 का उत्तर सामग्री :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के दंगवार ग्राम में सोन नदी के तट पर अवस्थित ''सूर्य मंदिर'' तथा पिपरा प्रखण्ड के पुनपुन नदी उदगम स्थल ''कुंड पर'' काफी रमणीक, मनोरम, दर्शनीय एवं पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित दंगवार ''सूर्य मंदिर'' तथा ''कुंड पर'' प्रति वर्ष काफी संख्या में अंतर्राज्यीय पर्यटक भ्रमण को आते है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के दंगवार ''सूर्य मंदिर'' तथा पिपरा प्रखण्ड के ''कुंड पर'' को राज्य पर्यटन संवर्धन में सम्मिलित कर पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 580 दिनांक 16.03.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, पलामू को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/51/2023 608 /राँची, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1223/वि०स०, दिनांक–15/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(242)

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०स०–71 का उत्तर सामग्री :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कला संस्कृति, नागपुरी गायकों एवं अन्य मशहूर गायकों की कमी नहीं है तथा बहुत सारे नागपुरी गायकों एवं कला संस्कृति के कलाकारों को पद्मश्री एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में उक्त कलाकारों एवं गायकों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, जिन्होंने झारखण्ड के कला संस्कृति एवं गायन के क्षेत्र में अपनी सारी जिंदगी न्योछावर कर दी है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के तरफ से उक्त सम्मानित कलाकारों एवं गायकों को उनके प्रोत्साहन हेतु उन्हें सम्मानित राशि देने का प्रावधान है,	3.	वर्तमान में विभाग के द्वारा संदर्भित विषय में कोई योजना संचालित नहीं है तथापि विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कला एवं सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं को सांस्कृतिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त मामले में झारखण्ड राज्य के कला, संस्कृति एवं नागपुरी गायन क्षेत्र के कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें सम्मान राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	विभाग द्वारा राज्य के श्रेष्ठ तथा 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध कलाकारों, जो वर्तमान में आर्थिक विपन्नता अथवा अस्वस्थता के कारण अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते है तथा दयनीय जीवन यापन करने पर मजबुर है, उन्हें प्रतिमाह ₹4000/– (चार हजार) मासिक वृत्तिका प्रदान करने संबंधी कार्य योजना प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/52/2023.....610...../राँची, दिनांक.....20.03.2023.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1224/वि०स०, दिनांक–15/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(243)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–54 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा के आधार पर अंशकालीन/घंटी आधारित व्याख्याताओं से सेवा ली जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक अंशकालीन व्याख्याताओं से संविदा के आधार पर कार्य नहीं लिया जाता है, बल्कि अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान (प्रति घंटी) मानदेय का भुगतान किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित संस्थानों में दशकों से कार्यरत अंशकालीन/घंटी आधारित व्याख्याताओं से प्रत्येक वर्ष साक्षात्कार लेकर सेवा विस्तार दिया जाता है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (W.P (S) NO. 3483 of 2011) की अवहेलना है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–1089, दिनांक–13.12.2022, द्वारा अंशकालीन व्याख्याताओं के मामले में W.P. (S) No.- 3483 of 2011 में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन करने का निदेश सभी पोलिटेकनिक संस्थानों को दिया गया है। साथ ही पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प के एतद् संबंधी प्रावधान के संशोधन की कार्रवाई की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित संस्थानों में सेवारत अंशकालीन/घंटी आधारित व्याख्याताओं का अवकाश के समय भुगतान शुन्य होता है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मणिपुर आदि राज्यों में सेवारत अंशकालीन/घंटी आधारित व्याख्याताओं को मासिक मानदेय देय है ;	विभागीय संकल्प 2890 दिनांक–11.12.2015 के प्रावधान के आलोक में प्रति व्याख्यान (प्रति घंटी) के आधार पर मानदेय का भुगतान होता है। अवकाश के दौरान व्याख्यान नहीं लिये जाने पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। बिहार राज्य में भी अतिथि व्याख्याताओं को घंटी आधारित मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। अंशकालीन व्याख्याताओं को पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश राज्य में 30,000/– से 35,000/– रूपये शर्तों के साथ प्रति माह एकमुश्त भुगतान करने का प्रावधान है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 1 में वर्णित राज्य के संस्थानों में सेवारत अंशकालीन/घंटी आधारित व्याख्याताओं को सम्मानजनक मासिक मानदेय, बीमा लाभ, रिक्त पदों के विरूद्ध स्थाई समायोजन/नियमितीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अंशकालीन व्याख्याताओं/घंटी आधारित व्याख्याताओं को एक सम्मानजनक मानदेय दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग के परामर्शानुसार पुनः प्रस्ताव तैयार कर संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित है। अंशकालीन व्याख्याताओं को बीमा लाभ एवं रिक्त पदों के विरूद्ध स्थायी समायोजन/नियमितीकरण करने का सरकार का कोई निर्णय नहीं है, परन्तु अंशकालीन व्याख्याताओं को नियमित नियुक्तियों में Weightage देने का प्रावधान तकनीकी शिक्षा नियमावली में प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–उ0त0/वि0स0–01/2023-308 /राँची, दिनांक–19.03.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–785, दिनांक–01.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/23

सरकार के उप सचिव।

पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र में दिनांक 21.03.2023 को श्रीमती सुनिता चौधरी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–73 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिले के गोला प्रखण्ड में 35 एकड़ भूमि पर राज्य का पहला और देश का दूसरा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज छात्राओं को अभियंत्रण की शिक्षा देने के उद्देश्य से बनायागया है, जिसका उद्धाटन दिनांक–17 दिसम्बर,2018 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था,	– आंशिक स्वीकारात्मक। राजकीय महिला अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का निर्माण कार्य कुल रकवा 16.80 एकड भूमि में हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के बनने के चार वर्ष बाद भी पढ़ाई प्रारम्भ नही हो सकी है, जिसके कारण राज्य की छात्राएं तकनीकी शिक्षा से वंचित रह रही है या दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है,	-- आंशिक स्वीकारात्मक। 1. वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य में राज्य सरकार द्वारा दो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय संचालित है जिसमें छात्र–छात्राओं का नामांकन हेतु समान अवसर प्रदान किया जाता है। 2. राजकीय महिला अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) को विभागीय आदेश ज्ञापांक 253 दिनांक 24.02.2021 द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय गोला (रामगढ़) के नाम से कर लिया गया है जिसे सह–शिक्षा के रूप में संचालित किया जाना है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान सत्र से महिला अभियंत्रण महाविद्यालय में अभियंत्रण की पढ़ाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का पी0पी0पी0 मोड पर संचालन हेतु **Arka Educational & Cultural Trust, Bengaluru** का चयन निजी सहयोगी के रूप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 917 दिनांक 17.10.2022 द्वारा किया गया है। इस संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से पठन–पाठन कार्य प्रारंभ कर लिया जायेगा।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0/वि0स0–05/2023 -- 310 /राँची, दिनांक– 19.03.2023

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1222 दिनांक 15.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/2023

(सरकार के अवर–सचिव)

(2415)

872
19/03/2023

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–20

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत मध्य और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा 05 से लेकर 10 +2 स्तर तक की तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम क्रियान्वित व संचालित है, जिसपर केन्द्र सरकार का विशेष जोर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के उच्च और उच्चत्तर विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम क्रियान्वित व संचालित है। वर्त्तमान मे समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 446 माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पाठ्यक्रम संचालन हेतु नई शिक्षा नीति के तहत् उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यालयों में वर्णित शिक्षा के अनुसार आधुनिक संरचनायुक्त संसाधन उपलब्ध कराई जा रही है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यान्तर्गत खण्ड (1) में वर्णित विद्यालयों में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आधुनिक संरचनायुक्त संसाधन उपलब्ध कर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हाँ। पूर्व से स्वीकृत 446 विद्यालयों के अतिरिक्त आदर्श विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में अतिरिक्त विद्यालयों में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव समग्र शिक्षा अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजे जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ह०/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–48/2023 872 / दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(246)

869
19/03/2023

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–64

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–01.12.2004 से दिनांक–31.08.2022 तक नयी अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या नयी अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन की सुविधा वित्त विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या–143/वि०पे० दिनांक–05.09.2022 तथा अधिसूचना संख्या–148/ वि०पे० दिनांक–21.09.2022 के द्वारा प्रदान की गई है तथा दिनांक–01.09.2022 के पश्चात् होने वाले नयी नियुक्ति, पुरानी पेंशन योजना के तहत् किये जाने का प्रावधान किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पेंशन योजना सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर लागू किया जायेगाय	इस खंड का उत्तर कंडिका 1 में सन्निहित है।
3	क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लागू की गई पुरानी पेंशन योजना से वंचित रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक) सहित प्रारंभिक विद्यालय तथा अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक–01.12.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या–1580 दिनांक–10.06.2022 के द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है। इन कर्मियों को वित्त विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या–143/वि.पे. दिनांक–05.09.2022 तथा अधिसूचना संख्या–148/वि०पे० दिनांक–21.09.2022 के आलोक में नयी पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन की सुविधा प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–1580 दिनांक–10.06.2022 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग, झारखंड के परामर्शानुसार विभागीय संकल्प संख्या–1580 दिनांक–10.06.2022 के आलोक में अद्यतन कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग निदेशालीय पत्रांक–806 दिनांक–14.03.2023 के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड से की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना के तहत् अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत पेंशन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में सन्निहित है।

विभाग...
19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–92 / 2023 869 / दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/23

सरकार के अवर सचिव।

247

श्री बिनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछा जानेवाला प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06 का उत्तर प्रतिवेदन–

क्र.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड के विभिन्न जिला एवं अनुमंडल कोर्ट में सीसीटीवी अधिष्ठापन कार्य हेतु चयनित एजेंसी बेसिल को कार्यादेश प्रदान किया गया है;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है, कि जैप–आई0टी0 के पत्र दिनांक 29.07.2022 के अनुसार चयनित एजेंसी को समस्त उपकरणों का एन0ए0बी0एल0 जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है;	**स्वीकारात्मक।**
3	क्या यह बात सही है कि बेसिल ने अपने उपकरणों के संदर्भ में मेसर्स आंचल टेक्नो सोल्यूशन्स, बेगलूरू द्वारा निर्गत टेस्टिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन एन0ए0बी0एल0 ने उक्त एजेंसी को सीसीटीवी उपकरणों की टेस्टिंग हेतु अधिकृत नहीं किया है;	**अस्वीकारात्मक।** एन0ए0बी0एल0 के द्वारा मेसर्स आंचल टेक्नो सोल्यूशन्स को ईलक्ट्रोनिकस सामग्रियों के जाँच हेतु उनके सर्टिफिकेट संख्या TC-7419 दि0 28.05.2021 **(संलग्न)** के द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 27.05.23 तक है। तथ्यों का विवरण एन0ए0बी0एल0 के वेबसाईट में उपलब्ध है **(प्रति संलग्न)**। सुलभ प्रसंग हेतु एन0ए0बी0एल0 के उक्त सर्टिफिकेट की प्रति एवं वेबसाईट के उक्त पृष्ठ की प्रति भी संलग्न की जा रही है साथ ही, मेसर्स आंचल टेक्नो सोल्यूशन्स से इस संबंध में प्राप्त पत्र की प्रति भी **संलग्न** है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बेसिल के खिलाफ कौन–सा कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड तीन में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-02/2023/IT - 362 रांची, दिनांक : 27-02-2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–116, दिनांक 21.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार)
अवर सचिव।

D:\Vidhansabha Q/SL

TEST LAB

AANCHAL TECHNO SOLUTIONS

NABL ACCREDITED LAB

#19, 1st Cross, 2nd Left, Begur Road,
Bommanahalli, Bangalore – 560068
E-mail- anand@atstestlab.com ,
Off. No: 080-41691482, Mob:
9449815980

Ref: ATS14092022

Dated: Wednesday, September 14, 2022

The OSD, JAP-IT
Ranchi.

Kind Attn: Sri. S.B. Ambashta

Sub: Response to your letter no. 1603 Dt. 12/09/2022

Dear Sir,

The lab reports referred by you in the mail is bona fide. We are certified laboratory by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL). Our enlistment can be verified on the official website of NABL - https://nabl-india.org/ under document no. NABL-400

The accreditation certificate is attached herewith for your ready reference.

Regards,

For, Aanchal Techno solutions

AANCHAL TECHNO SOLUTIONS TEST LAB

Arpitha.B

Encl: As Above

The observation and test results in this report are relevant only to the sample tested. Only the client is authorized to copy or distribute this report and only in its entirety. Any use of the Aanchal Techno Solutions name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, products or services must first be approved in writing by Aanchal Techno Solutions.
Uncertainty taken into consideration while reporting results.

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

NABL

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

AANCHAL TECHNO SOLUTIONS

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

#19, 1ST CROSS , 2ND LEFT, BEGUR ROAD, BOMMANAHALLI, BENGALURU, KARNATAKA, INDIA

in the field of

TESTING

Certificate Number: TC-7419

Issue Date: 28/05/2021

Valid Until: 27/05/2023

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.
(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Name of Legal Identity : AANCHAL TECHNO SOLUTIONS

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran
Chief Executive Officer

NABL 400

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL)

Directory of Accredited Testing Laboratories

As on: 31-Jan-2023

List of Laboratories Accredited in Accordance with the Standard ISO/IEC 17025:2017

Sl. No.	State	Name & Address of the Laboratory	Certificate No.	Discipline	Date of Issue	Date of Expiry	Validity Extended Upto	Contact Person	Contact Number	Email ID
1555	Karnataka	SITAS, C 72, 3RD STAGE, PEENYA INDUSTRIAL AREA, Bengaluru-560070, Karnataka	TC-7136	Non-Destructive Testing	27-04-2021	26-04-2023	NA	Srinivas Sv	9343619005	info@sitasndt.com
1556	Karnataka	Central Environmental Laboratory, Karnataka State Pollution Control Board, NISARGA BHAVAN, 7TH 'D' MAIN, THIMMAIAH ROAD, SHIVANAGARA Bengaluru-560079, Karnataka	TC-5487	Chemical, Biological	03-05-2021	02-05-2023	NA	H Roopadevi	9448294080	centrallab@kspcb.gov.in
1557	Karnataka	Aanchal Techno Solutions #19, 1ST CROSS , 2ND LEFT, BEGUR ROAD, BOMMANAHALLI, Bengaluru-560068, KARNATAKA	TC-7419	Electronics	28-05-2021	27-05-2023	NA	Anand Kumar.S	9449815980	anandkumar.ats@gmail.com
1558	Karnataka	SMS Labs Services Private Limited, No. 376, 1st and 2nd Floor, TNRTS, 1st Main Jagatjyothi Layout, Nagadevanahalli, Bengaluru-560056, Karnataka	TC-8392	Biological Chemical	14-03-2021	13-03-2023	NA	Sharadha Murali	9962518199	sm@smsla.in
1559	Karnataka	Ganesh Consultancy & Analytical Services, 294/A, Hebbal Industrial Area, Mysore-570016, Karnataka	TC-7390	Biological Chemical	01-06-2021	31-05-2023	NA	B S Subhash	9900176550	lab.ganesh@gmail.com
1560	Karnataka	TTP Technologies Pvt. Ltd. (Testing Laboratory), #36, KIADB INDUSTRIAL AREA, HIREHALLI, Tumkur, Karnataka-572168	TC-5249	Chemical Mechanical	08-02-2021	07-02-2023	NA	Suraj S	9738211948	suraj@ttpradiators.com

249

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–74 का उत्तर।

क्रं० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के गोला प्रखण्ड के पुरबडीह में वन विभाग के द्वारा डियर सॉफ्ट रिलीज सेंटर (पार्क) बनाया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वन विभाग द्वारा बनाये गये डियर सॉफ्ट रिलीज सेंटर (पार्क) में हिरणों एवं अन्य वन्य–प्राणियों को रखने की योजना थी तथा पार्क के चालू नहीं होने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो रही है एवं वन्य जीवों का संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। डियर सॉफ्ट रिलीज सेंटर में विक्षेपित/घायल/जंगल से भटके हुए हिरणों को रखा जाना था एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद पुनः उन्हें जंगल में छोड़ने की योजना थी। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में बाउन्ड्री वॉल एवं कुछ संरचनाओं का निर्माण किया गया था। कुछ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जा सका। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली से लाईसेंस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसे योजना के अनुसार चालू नहीं किया जा सका। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं था।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वर्ष में डियर सॉफ्ट रिलीज सेंटर (पार्क) को प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रस्तावित डियर सॉफ्ट रिलीज सेंटर को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के नियमानुसार बदलाव लाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद लाईसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। लाईसेंस प्राप्ति के पश्चात डियर सॉफ्ट रिलीज सेंटर को चालू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–47/2023–1066 व0प0, दिनांक–20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1219, दिनांक–15.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(250)

867
19/03/2023

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–56		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग ने राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में मर्ज किये गये सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने की कवायद शुरू कर दी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के पत्रांक 630 दिनांक 24.02.2023 द्वारा सभी उपायुक्त को निदेश दिया गया है कि छात्र–हित में अपने–अपने जिले के वर्ष 2016–17 एवं उसके बाद मर्ज किये गये विद्यालयों की समीक्षा अपने स्तर से 01 माह के अंदर कराते हुए यह देख लें कि अगर ऐसा कोई विद्यालय, जो पूर्व में मर्ज अथवा अवक्रमित किया गया हो तथा इस मर्जर के कारण संबंधित विद्यालय के छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई हो रही हो, तो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर इसकी सूची कारण सहित निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध करायेंगे, ताकि इस पर सरकार के स्तर से इन्हें पुनः खोलने के संबंध में विचार किया जा सके।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार ने उक्त बंद स्कूलों में पुनः खोलने की आवश्यकता का आकलन रिपोर्ट की मांग विभाग द्वारा सभी *DEO/DSE* से की है;	इस खंड का उत्तर कंडिका–1 में सन्निहित है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के 325 हाई स्कूलों को +2 में अपग्रेड करने हेतु विद्यालयों में क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है;	विभागीय संकल्प संख्या 2215 दिनांक–29.10.2020 के अन्तर्गत राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय (*School of Excellence*) तथा अन्य प्रखण्ड स्तरीय 325 तथा पंचायत स्तरीय 4091 विद्यालयों सहित कुल–4416 विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में चिन्हित किये गये हैं, ताकि इन विद्यालयों के माध्यम से राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालय उनके शैक्षणिक आधार को मजबूत करने हेतु सुलभ हो सके। संकल्प की कंडिका–5.1(क) में स्पष्ट किया गया है कि– "प्रस्तावित उत्कृष्ट विद्यालयों/आदर्श विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी।"
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में पूर्ण संसाधन उपलब्ध कराते हुए उक्त स्कूलों एवं +2 विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करना चाहती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य के 80 विद्यालयों को जिला स्तर पर एवं 325 विद्यालयों को प्रखण्ड स्तर पर सवंर्द्धित किया जा रहा है तथा प्रथम चरण में चयनित एवं आच्छादित सरकारी माध्यमिक/उच्च विद्यालयों की संख्या– 1128 है। तदनुसार उक्त सूची के आधार पर विद्यालयवार स्थलीय निरीक्षण कराते हुए भूमि की उपलब्धता, लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या एवं अधिष्ठापित भवन में G+I की संभावना इत्यादि के आधार पर तत्काल +2 उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमण की आवश्यकता इत्यादि का आकलन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 801 दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को निदेशित किया गया है।

विक्रम।।। 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–82/2023..867............../ दिनांक.19/03/2023/

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विक्रम।।। 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।